संख्या- 18/2026/1542 /सत्तर-5-2026-1832785

प्रेषक,

बद्री नाथ सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक 06 अगस्त, 2026**

विषयः- उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज के अध्यक्ष एवं सदस्यों को वेतन के पुनरीक्षण तथा भत्ते एवं अन्य सेवा-सुविधाएं अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-शि0से0आयोग/126/2024-25, दिनांक 12.09.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज के अध्यक्ष एवं सदस्यों को भत्ते एवं अन्य सुविधाएं अनुमन्य किये जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त के सन्दर्भ में सूच्य है कि शासनादेश संख्या-21/2024/आई0/521635/2024-70-5099/145/2023, दिनांक 15.03.2024 द्वारा उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में अध्यक्ष एवं सदस्यों सहित अन्य अधिकारीगण के पदों का सृजन किया गया है। उक्त शासनादेश के अनुसार उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को रू0 1,75,000/- एवं सदस्यों को रू0 1,47,000/- (नियत वेतन) संदत्त किया गया है।

3- आपके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 12.09.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, शासनादेश संख्या-21/2024/आई0/521635/2024-70-5099/145/2023, दिनांक 15.03.2024 में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नियत वेतन संबंधी व्यवस्था का पुनरीक्षण तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु भत्तों एवं अन्य सेवा-सुविधाओं के संबंध में नवीन व्यवस्था किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। तदनुसार निम्नवत् व्यवस्था की जाती है:-

क्र0 सं0	बिन्दु	वर्तमान व्यवस्था	संशोधित/नवीन व्यवस्था
1.	**नियत वेतन (Fixed Pay):**	**अध्यक्ष:** अध्यक्ष को प्रतिमास रू0 1,75,000/-का नियत वेतन देय होगा। **सदस्य:** आयोग के प्रत्येक सदस्य को प्रतिमास रू0 1,47,000/-का नियत वेतन देय होगा।	**अध्यक्ष:** अध्यक्ष को प्रतिमास रू0 2,25,000/- (रुपये दो लाख पच्चीस हजार मात्र) का नियत वेतन देय होगा। **सदस्य:** आयोग के प्रत्येक सदस्य को प्रतिमास रू0 2,05,400/- (रुपये दो लाख पाँच हजार चार सौ मात्र) का नियत वेतन देय होगा।
2.	**आवास सुविधा एवं मकान किराया भत्ता (Housing & HRA):**	-	**राजकीय आवास:** अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यों को 'किराया मुक्त राजकीय आवास' की सुविधा प्रदान की जाएगी। **मकान किराया भत्ता:** यदि किसी परिस्थिति में शासकीय आवास उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो उसके स्थान पर अध्यक्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

			को उ0प्र0 शासन के उनके समतुल्य श्रेणी के अधिकारियों तथा सदस्यों को रू0 10,000/- ग्रेड-पे के अधिकारियों के लिए निर्धारित दरों पर मासिक मकान किराया भत्ता (HRA) देय होगा।
3.	**वाहन सुविधा एवं ईंधन भत्ता (Vehicle & Fuel Allowance):**	-	**अध्यक्ष हेतु वाहन:** अध्यक्ष को उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन एवं शासकीय कार्यों हेतु एक सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। **सदस्यों हेतु ईंधन भत्ता:** शासकीय वाहन उपलब्ध न होने की दशा में, आयोग के सदस्यों को शासकीय कार्यों के निमित्त उनके निजी वाहन के प्रयोग किए जाने के एवज में प्रतिमास 200 लीटर ईंधन के तत्कालीन बाजार मूल्य के बराबर मासिक समेकित वाहन भत्ता अनुमन्य होगा।
4.	**यात्रा भत्ता (Travelling Allowance):**	-	आयोग के अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश शासन के अधीन समान वेतन के अधिकारी को वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-3 एवं सुसंगत आदेशों के द्वारा अनुमन्य यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा। सदस्यगण को राज्य सरकार के रू० 10,000 ग्रेड पे के अधिकारी को वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-3 एव सुसंगत आदेशों के द्वारा अनुमन्य यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा।
5.	**दूरभाष/इन्टरनेट सुविधा (Telephone/Internet Expenses):**	-	अध्यक्ष को टेलीफोन सुविधा रू0 25,000 वार्षिक तथा अन्य सदस्यगण को रू0 20,000 वार्षिक अनुमन्य होगा।
6.	**अवकाश (Leave):**	-	(क) प्रत्येक 06 माह की सेवा के उपरान्त 15 दिवसों का उपार्जित अवकाश देय होगा। उपभोग न होने दशा में अवशेष उपार्जित अवकाश स्वतः समाप्त (lapse) हो जाएगा। (ख) चिकित्सकीय आधार पर अथवा निजी कार्य हेतु प्रत्येक वर्ष की सेवा पर 20 दिवसों की दर से अर्धवेतन अवकाश देय होगा। उपभोग न होने दशा में अवशेष अर्धवेतन अवकाश स्वतः समाप्त (lapse) हो जाएगा। (ग) चिकित्सकीय आधार पर अर्धवेतन अवकाश को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से पूर्ण वेतन अवकाश में परिवर्तित किया जा सकेगा बशर्ते कि यह सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित हो। (घ) असाधारण अवकाश 03 वर्ष की सम्पूर्ण कार्यावधि में अधिकतम 108 दिवसों तक अनुमन्य होगा तथा इस अवधि में वेतन एव भत्ते देय नहीं होगें।
7.	**अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment):**	-	अध्यक्ष तथा सदस्यगण को अधिकतम 300 दिवसों का अवकाश नकदीकरण अनुमन्य होगा किन्तु शासकीय सेवाओं आदि के जो अधिकारी सेवानिवृत्ति के उपरान्त आयोग में अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में तैनात किये जाये यदि, उनके द्वारा पूर्व सेवा के आधार पर 300 दिन के अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्राप्त की जा चुकी है, तो आयोग में उन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। सेवारत अधिकारियों अथवा गैर सरकारी क्षेत्र के व्यक्तियों को अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में तैनात किये जाने पर उक्त सुविधा अनुमन्य होगी।

4- उपर्युक्त पुनरीक्षित वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमन्य होंगे:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- इस पुनरीक्षित वेतन संरचना, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के लागू होने के फलस्वरूप आने वाले समस्त वित्तीय व्ययभार का वहन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा अपने स्वयं के निजी स्रोतों से किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार के राजकोष/बजट से कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता या अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा।
- राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों को अध्यक्ष/ सदस्य नियुक्त किये जाने पर वह वेतन प्राप्त होगा जो उनके द्वारा आहरित अन्तिम वेतन में उनकी शुद्ध पेंशन (राशिकरण के पूर्व) की राशि घटाकर प्राप्त हो अथवा उनके पुनर्योजित पद के वेतन का अधिकतम, दोनों में से जो कम हो।
- अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद पर ऐसे सभी व्यक्तियों को जो अपनी नियुक्ति के पूर्व किसी राजकीय सेवा में नहीं थे को नियत वेतन व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमन्य अन्य सुविधायें प्रतिमाह देय होगा।

5- शासनादेश संख्या-21/2024/आई0/521635/2024-70-5099/145/2023, दिनांक 15.03.2024 के अन्य समस्त प्रावधान एवं शर्तें, जो इस शासनादेश से असंगत नहीं हैं यथावत प्रभावी रहेंगे।

6- यह आदेश वित्त विभाग के गैर वित्तीय अशासकीय संख्या-ई-11-118-X-2026-27 दिनांक 05 अगस्त, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
बद्री नाथ सिंह
विशेष सचिव।

<u>**संख्या एवं दिनांक तदैव।**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रधान महालेखाकार (सूचना आडिट), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
3- सचिव, उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज।
5- कोषाधिकारी, प्रयागराज।
6- उच्च शिक्षा अनुभाग-4/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से ,
शकील अहमद सिद्दीकी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।